डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन/डिस्पेच दिनांक 16 जुलाई, 2019

| वर्ष 63 | अंक 04 | भोपाल | 16 जुलाई, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

बीज संघ बीजों का उत्पादन भी करेगा ब्रांड नेम होगा 'सह-बीज'

सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की बैठक

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज संघ अब किसानों को प्रमाणित एवं प्रजनन बीजों का वितरण और विपणन करने के साथ बीजों का उत्पादन भी करेगा। सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता और किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव की उपस्थिति में मंत्रालय में सम्पन्न संघ के संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बीज का ब्रांड नेम **सह–बीज** होगा। आगामी रबी मौसम से बीज संघ द्वारा स्वयं के बीज उत्पादन की योजना है।

मंत्री श्री गोविंद सिंह ने बीज समितियों को सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए सदस्यों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिये प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। बजट का बड़ा हिस्सा किसानों के कल्याण पर व्यय किया जाए। योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो तथा बजट की राशि लैप्स न हो।

कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा कि बीज संघ से अधिक से अधिक बीज समितियों को जोड़ें तथा उन्हें विपणन में सहायता करें। उन्होंने किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता एवं कृषि श्री अजीत केसरी, आयुक्त सहकारिता श्री एम.के. अग्रवाल, आयुक्त उद्यानिकी श्री कवीन्द्र कियावत तथा महाप्रबंधक अपैक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा भी उपस्थित थे।

सहकारी संस्थाओं में कैडर निर्धारण समिति की बैठक

भोपाल। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के कैडर निर्धारण के लिये राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक समन्वय भवन में हुई। बैठक में सहकारी संस्थाओं के कर्मियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएँ देने पर चर्चा हुई।

बैठक को सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने सम्बोधित किया। बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह यादव (ग्वालियर), पूर्व मंत्री श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री नन्हे सिंह धुर्वे, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री चंद्रिका द्विवेदी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के निर्देश जारी

एक और महत्वपूर्ण वचन पूरा

भोपाल। राज्य सरकार ने वचन–पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के वचन को पूरा किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो संवैधानिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं। निर्देश जारी होने के दिनांक से इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये यह आरक्षण प्रभावशील होगा। जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वहाँ आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा। आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को मिलेगा, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। इस सीमा में वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों की आय शामिल होगी। शासकीय नौकरियों के लिये भी यह आदेश जारी दिनांक से सीधी भर्ती की रिक्तियों पर प्रभावशील होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो। भूमि की सीमा में खसरे में 3 साल से अंकित लगातार ऊसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि शामिल नहीं होगी। वे व्यक्ति भी आरक्षण से लाभांवित नहीं हो सकेंगे जिनके पास 1200 वर्गफीट से अधिक आकार का आवासीय मकान/फ्लेट नगर निगम सीमा में है। इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और नगर परिषद् क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से ज्यादा आकार के आवासीय मकान/फ्लेट का स्वामित्व वाले व्यक्ति भी आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

मण्डियों और फूड पार्क्स के समीप स्थापित किये जाये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्री श्री यादव ने की उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण एवं एम.पी. एग्रो की समीक्षा

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कार्यों की समीक्षा की। श्री यादव ने निर्देश दिए कि क्षेत्र विशेष में उत्पाद के आधार पर क्लस्टर बनाये जायें। खाद्य प्र–संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिये लोगों को प्रेरित किया जाए। मण्डियों एवं फूड पार्कस् के आस–पास ही यह उद्योग लगायें जायें, जिससे अधिकाधिक स्थानीय किसान लाभान्वित हो सकें। मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की उपज के निर्यात की संभावनाएँ भी तलाशी जायें ।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि नर्सरीज् में क्षेत्र की मांग के अनुसार पौधे तैयार किये जाये। नर्सरीज् में सब्जियों के बीज तैयार करें और सर्टिफिकेशन के बाद किसानों को उपलब्ध कराएं। इससे किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज मिलेंगे और नर्सरीज् की आय भी बढ़ेगी। मंत्री श्री यादव ने कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप जीवाणु खाद्य की एम.पी. एग्रो के जीवाणु खाद्य संयंत्र से आपूर्ति की जायें। उन्होंने बायोगैस निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन तथा पोषण आहार निर्माण संयंत्र की स्थापना के कार्य निर्धारित समय में प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, संचालक श्री कवीन्द्र कियावत, प्रबंध संचालक एम.पी. एग्रो श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे।

कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गांव में जाकर सुलझाएं समस्याएँ

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जनाधिकार कार्यक्रम में दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि जनहित के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को प्रचारित करें, ताकि आम लोगों को पता चले और अन्य लापरवाह अधिकारियों को भी सबक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का समाधान शत–प्रतिशत होना चाहिए।

मुख्यमंत्री यहाँ मंत्रालय में वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से जनाधिकार कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 10 जिलों के 12 लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हितग्राहियों से पूछा कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान मिलने तक कितना समय लगा और किन–किन जगह विलंब हुआ। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शिकायतें आने पर ही निराकरण करने की संस्कृति को समाप्त करें। जिलों के सेवा प्रदाय तंत्र को ऐसा चुस्त दुरूस्त रखें कि शिकायतों की संख्या निरंतर कम होती जाए। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान न करने वालों की जिम्मेदारी तय हो और उन पर की जाने वाली कार्यवाई की बुकलेट बनाई जाए ताकि लोगों को अपने दायित्व का भान हो सके।

मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के किसान दीनदयाल गुप्ता को वर्ष 2017 की सूखा राहत की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने पूछने पर बताया कि जिले में 3325 किसानों को 55 लाख रुपये देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने शहडोल के प्रभुलाल यादव को कर्मकार मंडल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय पर न मिलने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने **आपकी सरकार–आपके द्वार** कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टरों से चर्चा करते हुए कहा कि वे महीने में दो बार किसी एक ब्लाक और गाँव में जाकर लोगों की समस्याएँ सुनने और तत्काल निराकरण योग्य समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करें। उन्होंने कलेक्टरों को प्रत्येक माह राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

खाद–बीज की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने जिलों में खाद–बीज की उपलब्धता के संबंध में पूछा, तो कलेक्टरों ने बताया कि खाद–बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई मुद्दों पर कलेक्टरों से बात की और निर्देश दिये। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत दाखिला मिले बच्चों के संबंध में श्री नाथ ने कहा कि यह देखना होगा कि दाखिला लिये बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं छोड़ें।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के संबंध में कहा कि वे जिलों में सहयोगी की भूमिका में निवेशकों का साथ दें, उनकी मदद करें। कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आकलन करें कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने और स्वरोजगार स्थापित करने में कितनी सफलता मिली। सिर्फ कौशल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। कानून–व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय एवं सावधान रहने से कानून–व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा।

प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने सीएम हेल्पलाइन 181 की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें और इसका परिणाम देखें। इसी प्रकार प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग हेल्पलाइन भी स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस जिले में सेवा प्रदाय तंत्र कमजोर होता है, वहां से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं। इसी प्रकार जिस जिले में शिकायत नहीं के बराबर हैं, इसका मतलब जनता ने शासन से उम्मीद करना बंद कर दिया है। दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं। शिकायत निवारण का तंत्र नीचे से ऊपर की ओर काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बड़नगर विकासखंड के श्री मकबूल की उपार्जन का भुगतान न होने, गुना के मकसूदनगढ़ की श्रीमती ताराबाई को प्राकृतिक प्रकोप की राशि नहीं मिलने, शहडोल के जयसिंहनगर के श्री प्रभुदयाल की बेटी को छात्रवृत्ति न मिलने, सागर में गोड़झामर के बद्रीप्रसाद, मंदसौर के श्री सराफत, टीकमगढ़ के श्री दीनदयाल, राजगढ़ के श्री रामचन्द्र सोलंकी, बड़वानी के श्री विजय, देवास के श्री बलराम कोक को जननी सुरक्षा का लाभ न मिलने जैसी शिकायतों का निराकरण किया।

इस अवसर पर सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भूमिबंधक प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से

भोपाल। भूमिबंधक दर्ज करने एवं विमुक्त करने के संबंध में आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा कृषि भूमि पर बंधक दर्ज किए जाने हेतु भू–लेख पोर्टल पर भूमि बंधक मोडयूल उपलब्ध कराया गया है। इस मोडयूल से बैंक शाखाओं को कृषि भूमि के बंधक दर्ज करने हेतु आवेदन राजस्व न्यायालयों में भेजने की सुविधा ऑन लाइन उपलब्ध कराई गई है। बैक शाखा द्वारा बंधक दर्ज किए जाने हेतु आवेदन किए जाने पर यह आवेदन संबंधित पटवारी हल्का यूजर के पास पहुंचेगा। पटवारी द्वारा अग्रेषित किए जाने पर आवेदन संबंधित तहसीलदार यूजर के पास पहुंचेगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा–3 के तहत राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पदाभिहीत अधिकारी का पदनाम सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई है।

भूमिबंधक दर्ज करना तथा भूमि बंधक विमुक्त दर्ज करना दोनों सेवाओं के लिए पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार होंगे। दोनों सेवा प्रदाय करने की समय सीमा तीन दिवस है। प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी होंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त होंगे।

प्रदेश में 753 करोड़ लागत की बीओटी सड़क के काम पूरे

भोपाल। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने पिछले 6 माह में बीओटी योजना में 753 करोड़ लागत के 3 सड़कों के काम पूरे किये हैं। इन कामों को पूरा किये जाने में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा गया है।

मनगंवा–चाकघाट राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–27 लम्बाई 52.07 किलोमीटर 4 लेन मार्ग निर्माण पर 410 करोड़ खर्च किये गये। राऊ–मऊ–मण्डलेश्वर राज्य राजमार्ग क्रमांक–1 74.40 किलो मीटर लम्बाई 2 लेन मार्ग निर्माण पर 176 करोड़ रूपये खर्च किये गये। घोगा–बिलुआ मुख्य जिला मार्ग 19 किलोमीटर लम्बाई 2/4 लेन मार्ग के निर्माण पर 167 करोड़ खर्च कर किये गये।

प्रतिमाह प्रभार के जिले का दौरा करेंगे प्रभारी सचिव

भोपाल। राज्य सरकार ने जिला प्रभारी सचिव को प्रतिमाह जिले का दौरा करने के निर्देश जारी किये हैं। पूर्व में प्रति दो माह में दौरे पर जाने के निर्देश दिये गये थे।

रोजगार की जानकारी के लिए Jobs in MP पोर्टल

भोपाल। प्रदेश के युवाओं को एमएसएमई इकाईयों में रोजगार के अवसरों की जानकारी के लिये तथा vacancy होने पर आवेदन की सुविधा के लिये एमएसएमई विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार के इच्छुक युवाओं एवं रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाईयों के मध्य संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। पोर्टल पर शिक्षित बेरोजगार युवा निर्धारित प्रपत्र अनुसार स्वयं का विवरण दर्ज करते हुए पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि पोर्टल के माध्यम से उनके विवरण का अवलोकन जॉब प्रदाता औद्योगिक इकाईयॉ कर सकें। ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवा, जो रोजगार के इच्छुक हैं, वे इस पोर्टल पर स्वयं का विवरण दर्ज करते हुए पंजीकरण करायें। साथ ही औद्योगिक इकाईयों से भी यह अपेक्षा है, कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने बाबत अपना पंजीयन करायें, ताकि पोर्टल के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके।

मंत्रालय में 15 अगस्त से लागू होगी ई–ऑफिस कार्य–प्रणाली

भोपाल। मंत्रालय में आगामी 15 अगस्त से ई–ऑफिस कार्य–प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री पी.सी.मीना ने सभी अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र भेजकर नस्तियों का परिचालन ई–ऑफिस कार्य– प्रणाली पुस्तिका के अनुसार वेबसाईट <https:@mantralaya-mpeoffice-gov-in@ij> प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे : मुख्यमंत्री

इंदौर में पिछड़ा वर्ग छात्राओं के लिए 500 सीटर छात्रावास भवन का लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में उन्हें बेहतर वातावरण देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के हर संभव कदम उठा रही है। श्री नाथ आज इंदौर के असरावद खुर्द में पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए निर्मित 500 सीटर छात्रावास भवन का लोकार्पण कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पहले दिन से सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते हुए मध्यप्रदेश में आर्थिक निवेश बढ़े, इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। विकास के मामले में हम केन्द्र के सहयोग से प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। केन्द्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ जनता तक पहुँचाने में राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। श्री नाथ ने कहा कि किसानों के साथ ही प्रदेश के युवा वर्ग, जिसमें महिला, पुरुष दोनों शामिल हैं, का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त भूमि पर सभी संभागीय मुख्यालयों पर कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री श्री आरिफ अकील ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे समाज के कमजोर वर्गों के उन प्रस्तावों, को केन्द्र से शीघ्र अनुमति दिलवाएँ, जो लम्बे समय से लंबित हैं। समारोह को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, गृह मंत्री श्री बाला बच्चन और उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया।

भू-राजस्व संहिता के नियमों में संशोधन एवं नये नियमों के लिए समिति का पुनर्गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन करने या नये नियम बनाने तथा नियमों के प्रारूपण के लिए पूर्व में गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है। श्री आई.एस.दाणी अध्यक्ष राज्य भूमि सुधार आयोग समिति के अध्यक्ष होंगे।

समिति मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्राथमिकता से लेगी।समिति राज्य भूमि सुधार आयोग का सहयोग प्राप्त कर नियमों के प्रारूप तैयार करेगी। इसके साथ ही समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी ।

मनीष रस्तोगी,प्रमुख सचिव राजस्व समिति के उपाध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्यों में एम. सेल्वेन्द्रन सचिव राजस्व, आयुक्त भू–अभिलेख, अशोक कुमार गुप्ता सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, सचिव राजस्व मण्डल, श्री मुजीबुर्हमान खान उप सचिव राजस्व शामिल है। डॉ. भारती गुप्ता उपायुक्त, (विधि अधिकारी) राजस्व को समिति की संयोजक होंगी।

देश में खण्डवा जिला स्वास्थ्य और पोषण में अव्वल : नीति आयोग ने सराहा

आयोग देगा 3 करोड़ अतिरिक्त आवंटन

भोपाल। मध्यप्रदेश का खण्डवा जिला वर्ष 2019 के जनवरी–फरवरी महीनों में देशभर में स्वास्थ्य और पोषण के परिप्रेक्ष्य में अव्वल स्थान पर रहा है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कान्त ने मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहन्ती को पत्र के जरिये इस उपलब्धि के लिये बधाई दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है।

खण्डवा जिला इस उपलब्धि के लिये तीन करोड़ रूपये के एकमुश्त अतिरिक्त आवंटन के लिये पात्र घोषित किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने खण्डवा जिला, राज्य और केन्द्रीय प्रभारी अधिकारियों से विचार–विमर्श कर 15 दिन के भीतर कार्य–योजना बनाकर नीति आयोग को भेजने के लिये कहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की स्वीकृति के लिए गठित सचिवों की सक्षम समिति द्वारा इस कार्य योजना पर विचार किया जायेगा।

पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

भोपाल। राज्य सरकार ने वर्तमान सत्र से पद्म पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया को गृह विभाग की वेबसाइट <http:home.mp.gov.in> पर ऑनलाइन कर दिया है। पद्म पुरस्कार मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिये सभी जिला कलेक्टरों को गृह विभाग ने लॉग–इन पासवर्ड उपलब्ध करवाये हैं। नामांकन प्रेषित करने की अंतिम तिथि एक अगस्त 2019 निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से श्रेणीवार आवेदन सरलता और सतर्कता से किये जा सकेंगे, प्रस्तावक रिमार्क कर सकेंगे और मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।

जिलों में चिन्हित व्यक्तियों का पद्म अवार्ड के लिये नामांकन लॉग–इन पासवर्ड का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में विभाग को प्रेषित होगा। गृह विभागने मॉड्यूल का ऑनलाइन फ्लोचार्ट भी जारी किया है। इसकी सहायता से पद्म पुरस्कारों के नामांकन विभागीय वेबसाइट पर सरलता से प्रेषित किये जा सकेंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया में चिन्हित प्रतिभागियों के नामांकन भरते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित साईटेशन, प्रतिभागियों द्वारा अपने क्षेत्र में एवं समाज के लिये किये गये योगदान का विवरण, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना है। इससे पद्म पुरस्कारों केलिये नामांकनों को चयनित करने एवं ऑनलाइन ही भारत सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया सरल, सुगम एवं समयबद्ध स्वरूप में पूरी की जा सकेगी।

पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किये जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं। **पद्म विभूषण** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये, **पद्म भूषण** उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिये और **पद्म श्री** प्रतिष्ठित सेवा के लिये दिया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पद्म पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिये प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्तमान में यह प्रक्रिया जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मेन्युअल प्रोसेस से पेपर कापी द्वारा की जाती रही है। इससे जिला स्तर पर पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करने, जिला कलेक्टरों की समीक्षा के बाद नामांकनों को शासन को भेजने, शासन स्तर पर छानबीन समिति द्वारा समीक्षा करने और इसके बाद भारत सरकार को नामांकन प्रस्ताव प्रेषित करने में अवांछनीय विलम्ब अथवा त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। नई प्रक्रिया के अपनाने से त्रुटि की संभावना नगण्य होगी।

10 हजार ग्रामीण महिलाएँ बनेंगी इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री और प्लम्बर

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि स्व–रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए आजीविका मिशन स्व–सहायता समूह की महिलाओं को राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूह से जुड़ी लगभग 10 हजार महिला सदस्यों द्वारा इसमें रुचि व्यक्त की गई है। इनका प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित

भोपाल। राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु न्यूनतम–अधिकतम 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम–अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/मंडल/) स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निरूशक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट रहेगी।

मध्यप्रदेश सरकार सोलर पम्प के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र को देगी अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में सौर संयंत्र परियोजना का शिलान्यास

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले राष्ट्र को विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने आज केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि 27 साल पहले रियो में ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट में जब वे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, तब उन्होंने अपने वक्तव्य में बढ़ते तापमान पर चिंता व्यक्त करते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही थी। साथ ही इसके लिए एक कोष बनाने की भी मांग की थी। उस वक्त इस सबसे बड़े शिखर सम्मेलन में, जहाँ 127 देश के राष्ट्र प्रमुख भाग ले रहे थे किन्तु इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं हुई थी। उस वक्त कोई भी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2002 तक लोगों में सौर ऊर्जा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। । उस समय सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन महँगा था। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बदली है। आज जिस संयंत्र की स्थापना पुलिस अकादमी में होने जा रही है उसकी बिजली मात्र 1 रुपये 38 पैसे में उपलब्ध होगी। अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आई है। हमारे सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती सौर ऊर्जा के भंडारण की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर पड़त भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हम सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में करने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग हो। इससे हम पर्यावरण के साथ ही खेती–किसानी के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवायेंगे और कई स्तरों पर होने वाले व्यय को कम कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से हम सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि रोजगार भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जो अंततरू लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगी।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने कहा कि पिछले छह माह में हर क्षेत्र में हुआ बदलाव आज नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए न केवल नीतियों में परिवर्तन किया है बल्कि नई सोच के साथ पूरे विभाग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवा सकेंगे। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 लाख सोलर पंपों के साथ प्रदेश के 20 ब्लॉकों में सौर परियोजना स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। इस निर्णय से प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जो रोजगार और प्रदेश के विकास की एक समृद्ध तस्वीर गढ़ेगी। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार सोलर पंपों पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश ने केन्द्र सरकार से वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत की सब्सिडी को बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस के महानिदेशक ने की 2 लाख सोलर पंप लगाने की सराहना

विश्व बैंक के प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस के महानिदेशक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 2 लाख सोलर पंप लगाने के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्णय की सराहना की।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि श्री नाथ का यह निर्णय निश्चित ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे काम को भी संतोषप्रद बताया। उन्होंने कहा कि अगर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया गया, तो निश्चित ही हमें इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से उनकी चर्चा हुई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदेश इस दिशा में बेहतर काम करेगा।

सौर संयंत्र की स्थापना से होगी 57 लाख की बचत

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा आज जिस सौर संयंत्र परियोजना का शिलान्यास किया गया है, उसकी क्षमता 650 किलोवाट है। संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख 50 हजार यूनिट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है। उत्पादित बिजली 1 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से संस्थान को उपलब्ध होगी। इससे संस्थान को पहले वर्ष में ही लगभग 57 लाख रुपये की बचत होगी।

परियोजना के लिए क्लेनेट सोलर के चेयरमेन श्री राजीव शुक्ला और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के डायरेक्टर श्री पवन श्रीवास्तव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

प्रारंभ में प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की नई नीतियों के बारे में जानकारी दी। पुलिस महा निदेशक श्री वी.के. सिंह उपस्थित थे।

नगरीय क्षेत्रों में 30,333 भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टे वितरित

शेष पात्र हितग्राहियों को 7 दिन में पट्टे देने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के 30 हजार 333 पात्र भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टे वितरित किये गये हैं। सर्वाधिक 694 पट्टे रायसेन जिले में वितरित किये गये हैं। भोपाल में 2401 पट्टे वितरित किये गए हैं। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि शेष 13 हजार 815 पात्र हितग्राहियों को 7 दिन में पट्टे देने की कार्यवाही पूरी करें।

सतना में 1801, सागर 538, मन्दसौर 66, दमोह 615, रतलाम 265, जबलपुर 2288, नरसिंहपुर 2477, शहडोल 33, भिण्ड 59, रीवा 50, शिवपुरी 141, उमरिया 856, छतरपुर 13, राजगढ़ 117, टीकमगढ़ 53, बालाघाट 223, उज्जैन 176, देवास 92, होशंगाबाद 1015, खरगोन 564, अशोकनगर 24, डिंडोरी 71, विदिशा 478, ग्वालियर 590, शाजापुर 562, धार 514 और झाबुआ में 57 पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित किये गये हैं। इसी तरह जिला पन्ना में 37, नीमच 1487, श्योपुर 187, गुना 51, भोपाल 2402, सीहोर 2281, रायसेन 2694, बैतूल 713, हरदा 198, इंदौर 16, बड़वानी 841, खण्डवा 271, बुरहानपुर 625, अलीराजपुर 127, आगर मालवा 61, कटनी 50, मण्डला 132, छिन्दवाड़ा 2566, सिवनी 5, अनूपपुर 1258, सीधी 48 और जिला सिंगरौली में 545 हितग्राहियों को आवासीय पट्टे दिये गये हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सुश्री आरती को मिली सम्मानजनक नौकरी

भोपाल। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व–रोजगार के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र की कम्पनियों में सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है। सागर जिले के विकासखंड केसली के ग्राम इंदलपुर की सुश्री आरती विश्वकर्मा ने मिशन के जरिये रिटेल सेल्स विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब उन्हें अहमदाबाद में रिलायंस मॉल में प्रमोटर के पद पर नियुक्ति मिल गई। आरती अपनी कार्य–कुशलता से तरक्की कर मॉल में अब सुपरवाइजर बन गई है। उसे प्रतिमाह 20 हजार रुपये से अधिक वेतन मिल रहा है। सुश्री आरती के प्रयास से उसकी बहन को भी रिलायंस मॉल में नौकरी मिल गई है। अब उसके घर में दो लोग कमाने वाले हो गये हैं। एक समय था जब यह परिवार घर खर्च चलाने में भी तंगी महसूस किया करता था।

IFMIS सॉफ्टवेयर से मिलेगी वेतन आहरण, अवकाश की जानकारी

भोपाल। शासकीय अधि–कारियों एवं कर्मचारियों की कठिनाइयों के मद्देनजर मंत्रालय में **ई–दक्ष** प्रशिक्षण किया जा रहा है। कोष एवं लेखा संचालक श्री जे.के. शर्मा ने बताया कि कठिनाइयों का निराकरण और उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की जानकारी प्रशिक्षण में दी जायेगी। प्रशिक्षण 16 जुलाई तक चलेगा।

IFMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन आहरण, अवकाश स्वीकृति , शासन द्वारा डीए, एरियर, वेतन वृद्घि आदि से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल नंबर व ई–मेल दर्ज कर एस.एम.एस. व ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारी अपना मोबाइल नंबर व ई–मेल आई.डी. प्व्डै पर दर्ज कराए। आहरण अधिकारी द्वारा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी लॉगिन/पासवर्ड उपलब्घ कराया जाएगा। अधिकारी एवं कर्मचारी www-ifmisprod-mptreasury-gov-in <http:@@www-ifmisprod-mptreasury-gov-in@> पर लॉगिन कर समस्त जानकारी देखे एवं उसे सही करवायें।

किसी कर्मचारी का निष्कलंक सेवा काल गौरव की बात

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के परिवार के सदस्य श्री सुधीर कुमार शर्मा की सेवा निवृत्ति के अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में केन्द्र जबलपुर के प्रचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी का निष्कंलक सेवा काल उसके लिए गौरव की बात होती है। श्री सुधीर कुमार शर्मा का सेवा काल भी इसी प्रकार का रहा है। जिला सहकारी संघ जबलपुर के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेई ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सेवा काल के बाद श्री शर्मा को अब अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकाधिक समय के साथ उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए।

आयोजन में केन्द्र के व्याख्याता श्री शशिकांत चतुर्वेदी, श्री व्ही.के. बर्वे, श्री दिलीप कुमार मरमट, प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार, लिपिक श्री एन.पी.दुबे, श्री पीयूष राय, ने विचार व्यक्त करते हुए श्री सुधीर कुमार शर्मा के प्रति अपनी मंगलकामनायें व्यक्त की। आयोजन के अंत में श्री सुधीर कुमार शर्मा ने अपने सेवा काल के संस्मरण प्रस्तुत करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की ।

युवा अपनी सोच में समाज, परिवार, पर्यावरण और अध्यात्म को प्राथमिकता दें

इंदौर में माइंड रॉक यूथ समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि युवाओं को अपनी सोच और नजरिए में समाज, परिवार, पर्यावरण और आध्यात्म को प्राथमिकता देना चाहिए। वे अपना कैरियर बनाएं लेकिन जीवन में ऐसा काम भी करें जिससे उन्हें आत्मिक शांति और संतुष्टि मिले। श्री नाथ इंदौर में निजी चैनल के **माइंड रॉक यूथ समिट** में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि नौकरी और व्यवसाय के साथ युवाओं को देश और समाज के नव–निर्माण के लिए भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में व्यापकता के साथ रचनात्मक दृष्टि होना जरूरी है। हम अपने सुख के लिए काम करें लेकिन हमें तभी आत्मिक शांति मिलेगी और हमारा जीवन सार्थक होगा, जब हम देश, समाज और गरीबों के लिए काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती–किसानी पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों की दिशा में काम करना शुरू किया है। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश में निवेश के लिए विश्वास का वातावरण बनाया है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। इसके जरिए हम गरीबी दूर करने, किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य दिलाने के लिए पहले दिन से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं की हितैषी सरकार है। इन वर्गों के विकास और प्रदेश की समृद्धि के लिए हम ऐसी नीतियाँ लागू करेंगे, जिससे आने वाले एक साल में सरकार की उपलब्धियाँ हर क्षेत्र में दिखलाई देंगी।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि कानून–व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कानून सबके लिए समान है। जो भी इसका उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि फुटबॉल, बेडमिंटन, हॉकी और पर्वतारोहण उनके व्यक्तिगत शौक रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने समिट में संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल की परिक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं

विदिशा। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं इन योजनाओ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत हितग्राहियों को वित्तीय सहायता एवं ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा म.प्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है इस योजना में राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से ग्रामीण शिक्षित ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर उपल्ब्ध कराए जा रहे है।

इस योजना में उत्पादन के क्षेत्र में 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाई स्थापित कर सकते है। योजना में पात्रता के लिए हितग्राही की आयु –18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास तथा 10 लाख से अधिक परियोजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक 10 वी पास होना चाहिए। योजना में अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राही को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना पडता है तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाती है तथा अनुसूचित जातिध् जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्ग के हितग्राही को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना पडता है तथा 35 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान राशी दी जाति है। आवश्यक दस्तावेज – ग्राम पंचायत की जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवश्यक कोटेशन, इकाई स्थापित स्थल के स्वामित्व या किरायानामा, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें परियोजना इकाई आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निवास प्रमाण पत्र, फोटो इत्यादि आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा उक्त योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवक –युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से बैंक के माध्यम से वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में 50000 से 10 लाख तक की परियोजना लागत इकाई के प्रकरण बनाये जाते है। योजना में पात्रता के लिए हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, न्यूनतम 5 वी पास, आयु 18 से 45 वर्ष, आवेदक एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या शासकीय सेवा में ना हो। इसके तहत हितग्राही को वित्तिय सहायता सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत मार्जिन मनी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्ग को 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख मार्जिन मनी का प्रावधान है। इस योजना में परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा महिलाओं को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25000 ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होता है। आवश्यक दस्तावेज में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवश्यक कोटेशन, इकाई स्थापित स्थल के स्वामित्व या किरायानामा, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें परियोजना इकाई आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक निवास प्रमाण पत्र, फोटो इत्यादि।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

इस योजना में खादी ग्रामोद्योग द्वारा बैंक के माध्यम से बी पी एल श्रेणी के हितग्राहियो को आवश्यक मशीन, उपकरण, कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना में 50000 तक की परियोजना लागत के ऋण प्रकरण बनाये जाते है।

योजना में पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं, बीपीएल अनिवार्य , आवेदक एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी नौकरी में न हो सिर्फ एक ही बार ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा आवेदक आयकर दाता न हो।

आवश्यक दस्तावेज – आयु प्रमाण पत्र, बी पी एल कार्ड, आवश्यक कोटेशन, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, मुल निवासी फोटो इत्यादि वित्तिय सहायता, सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत मार्जिन मनी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्ग को 30 प्रतिशत अधिकतम 15000 मार्जिन मनी का प्रावधान है।

विकास की नई परियोजनाओं के लिए 15वें वित्त आयोग से अनुदान सहायता का आग्रह

मोहल्ला क्लीनिक, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट क्लास रूम जैसे प्रयासों की चर्चा

भोपाल। प्रदेश में मोहल्ला क्लीनिक, विकास खंडों में पैरा मेडिकल स्टाफ की आवासीय सुविधा, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट क्लास रूम जैसे अनूठे प्रयासों के लिये अनुदान सहायता की आवश्यकता से 15वें वित्त आयोग को अवगत करवाया गया। विभिन्न विषय पर वित्त आयोग के सामने प्रस्तुतीकरण देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राज्य की वित्तीय स्थिति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में केन्द्र से अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की।

श्री जैन ने बताया कि राज्य के कुल खर्च में विकास पर हुए खर्च का प्रतिशत बढ़कर 76 हो गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में राज्य के खर्चे बढ़ेंगे लेकिन राजस्व प्राप्ति के अवसर सीमित हैं। राज्य के कर लगाने के मौके भी प्रभावित हुए हैं। जीएसटी के कारण राजस्व में कमी आई है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में बदलाव से भी राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार आया है।

आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि कम आय वाले राज्यों और अधिक आय वाले राज्यों के बीच अंतर बढ़ रहा है। यह एक चक्र बन गया है कि प्रति व्यक्ति आय कम होगी इसलिये राजस्व बढ़ाने की क्षमता कम होगी और इसका प्रभाव अधोसंरचना विकास और कौशल विकास पर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप निवेश कम होगा और रोजगार भी कम पैदा होंगे। यह एक चक्र है जो चलता रहेगा। इसे तोड़ने के लिये वित्त आयोग के सहयोग की जरूरत है। इस बात पर जोर देकर वित्त आयोग से आग्रह किया गया कि राज्यों को मिलने वाले करों में हिस्सेदारी को 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

राज्य की ओर से प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में विशेष अनुदान के संबंध में भी चर्चा हुई। जनजातीय जनसंख्या के मान से जनजातीय कल्याण का विशेष अनुदान बढ़ाने की जरूरत है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम आदि के लिये और आधुनिक प्रोद्यौगिकी से स्कूलों को सम्पन्न बनाने के लिये अनुदान की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सहयोग जरूरी है। कृषि में मार्केटिंग और वितरण पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है।

राज्य मंत्रि–परिषद के सदस्यों ने अपने अपने विभागों से संबंधित सुझाव दिये। पंचायतों में ऑडिट व्यवस्था और क्षमता विकास के लिये अनुदान का सुझाव दिया गया। शहरी विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के बीच 88 हजार करोड़ से ज्यादा की जरूरत रेखांकित की गई।

प्रदेश में आपात संभावनाओं की चर्चा करते हुए बताया गया कि बहुआयामी गरीबी के संकेतक में प्रदेश की चौथी रेंक है। कम से कम 30 जिले दस नदियों के बेसिन पर स्थित हैं और हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार 28 जिलों में भूकम्प आ सकता है।

आयोग से मोहल्ला क्लीनिक बनाने, 75 विकास खंडों में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिये रहने की सुविधाएँ, दवा प्रदाय व्यवस्था को मजबूत करने के लिये भी अनुदान की माँग की गई। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिये 300 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की मांग की गई। आयुष सेवा प्रदाय के लिये 578 डिस्पेंसरी बनाने, आयुष कॉलेजों को सुधारने, नौ होस्टल बनाने, लघु अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये सहायता की जरूरत बताई गई। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिलिंग के लिये सहायता की माँग की गई।

इस दौरान केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्री रमेश चंद्र, श्री अशोक लहरी, श्री अनूप सिंह एवं आयोग के सदस्य सचिव श्री अरविंद मेहता, मंत्रि–परिषद के सदस्य एवं मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती उपस्थित थे।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये आँगनवाड़ी शिक्षा ई-लर्निंग शुरू

भोपाल। महिला–बाल विकास विभाग ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **आँगनवाड़ी शिक्षा** ई–लर्निंग व्यवस्था शुरू की है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जी. आई.जेड. के सहयोग से तैयार इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से पूरे राज्य में सभी परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित कर मास्टर्स ट्रेनर्स बनाया गया है। अब तक लगभग 25 हजार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों ने यह कोर्स प्रारंभ कर दिया है और तीन हजार ने इसे पूर्ण कर लिया है। आगॅनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर ट्रेनिंग देगी। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने वार्ड और मोहल्ले की महिलाओं को अपने मोबाईल पर वीडियो दिखाकर आसान तरीके से बच्चों को स्वस्थ और पोषण आहार की जानकारी देगी।

प्रभावशील वीडियो के माध्यम से जानकारी ई–लर्निंग पाठ्यक्रम को आसान, मनोरंजक और प्रभावी बनाया गया है। इसमें गेम, क्विज, फिल्म आदि को भी शामिल किया गया है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने मोबाइल पर पालकों को वीडियो के माध्यम से घर पर मौजूद खाद्य सामग्री से बच्चों को पौष्टिक आहार बनाने की जानकारी देगी। बच्चों के पालन–पोषण को लेकर भी वीडियो में छोटी–छोटी बातों को रोचक तरीके से बताया गया है।

ई–लर्निंग के सात मॉड्यूल

ई–लर्निंग के सात मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इसमें 6 माड्यूल कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों दोनों के लिए और एक मॉड्यूल (सेक्टर प्रबंधन) केवल पर्यवेक्षकों के लिए तैयार किया गया है।

- वृद्धि निगरानी मॉड्यूल से बच्चों के विकास का वर्णन किया जा सकेगा।
- कुपोषण प्रबंधन मॉड्यूल से कुपोषण के प्रकार और दुष्प्रभाव की जानकारी से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अपडेट रहेंगी।
- स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्व मॉड्यूल से बच्चों को दिये जाने वाले पोषक तत्वों की जानकारी दी जा सकेगी।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार मॉड्यूल से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचनाओं के साथ ही उनके काम के लिए सजग रखा जा सकेगा।
- सामुदायिक सहभागिता मॉड्यूल से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामुदायिक सहभागिता के तरीके सिखाये जाएंगें।
- प्रारंभिक बाल अवस्था और अनौपचारिक शिक्षा मॉड्यूल से कार्यकर्ताओं को बच्चों को आँगनवाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा के तरीके सिखाये जाएंगे।
- सेक्टर प्रबंधन मॉड्यूल से ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, अन्य सेक्टर किस तरह से काम कर रहे है की जानकारी मिलेगी।

आँगनवाड़ी शिक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाले सुरक्षित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मूडल फ्रेमवर्क में तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम को मोबाइल एप के रूप में भी विकसित किया गया है, जो एंड्राइड बेस्ड है। इसका उपयोग किसी भी समय कहीं भी किया जा सकेगा।

फसल ऋण माफ होते ही अगली फसल की तैयारी में जुटे किसान

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को फसल ऋण से मुक्त करते ही वे अगली फसल की तैयारी में जुट गये हैं। पिछले ऋण की चिंता से मुक्त किसान बैंकों द्वारा अगली फसल के लिये दी जा रही ऋण सुविधा से खुश हैं। यह सब जय किसान फसल ऋण माफी योजना का धरातल पर सफल क्रियान्वयन होने से संभव हुआ है।

आगर–मालवा जिले के किसान श्यामलाल पर सहकारी बैंक का एक लाख 90 हजार 879 रुपये का कर्ज था। जय किसान फसल ऋण माफी योजना में यह ऋण माफ होने का संदेश श्यामलाल को मोबाइल फोन पर मिला। साथ ही अगली फसल के लिये ऋण प्राप्त करने का निमंत्रण भी आया। कर्ज की चिंता से मुक्त श्यामलाल अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं।

इसी जिले के किसान सिद्दीक खान भी ऋण माफी का प्रमाण–पत्र पाकर चिंता मुक्त और खुश हैं। उन पर वर्षों से जिला सहकारी बैंक का 1 लाख 98 हजार 226 रुपये का कर्ज था। इस कर्ज से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। वे राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते थकते नहीं है।

सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय पर कार्यक्रम आयोजन

धार। सहकारिता क्षैत्र को सायबर अपराध, सुरक्षा उपाय व आई.टी. एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिये म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में सायबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा धार जिले की दुग्ध सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल नटराज, धार में किया गया। कार्यक्रम के अतिथि द्वय श्री देवीलाल लश्करी, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, धार व श्री बी. के. परिहार, प्रबंधक दुग्ध सहकारी संघ, धार द्वारा सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में सायबर अपराध के प्रकार, तरीके व उनसे बचाव की तकनीक तथा आई. टी. एक्ट 2000 के प्रावधानों को समझाया गया। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यक्रम को उनके कार्यक्षैत्र के लिये उपयोगी बताया गया। प्रशिक्षण, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा दिया गया। संचालन जिला सहकारी संघ, धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शुभेन्द्रसिंह पंवार द्वारा किया गया। आभार केन्द्र के प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव तथा जिला संघ, धार के श्री लक्ष्मीकांत चावड़ा द्वारा व्यक्त किया गया।

फसल चक्र के आधार पर करें बिजली मेन्टेनेंस की प्लानिंग

ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि फसल चक्र के आधार पर जिलावार बिजली मेन्टेनेंस की प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में योजनाओं का नाम भी लिखें। श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिल अदायगी के लिये उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाये। उन्होंने कहा कि बिल सुधार समिति की बैठक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार करवायें। जुलाई माह तक हर मंगलवार को और अगस्त माह से हर माह के दूसरे मंगलवार को वितरण केन्द्र स्तर पर समिति की बैठक करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि बिल भुगतान व्यवस्था में सुधार किया जाये। टैरिफ प्लान को भी सरल बनाया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के घरों में बिजली मीटर लगवाने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल बनाये जायें। श्री सिंह ने कहा कि वितरण केन्द्र स्तर पर व्हाट्स–एप ग्रुप बनायें। उन्होंने उत्पादन कम्पनी से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बिजली का उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा। श्री सिंह ने कहा कि हाइडल प्लांट का मेन्टेनेंस जल्द करें। उन्होंने विद्युत सब स्टेशन का निर्माण समय–सीमा में करवाने के भी निर्देश दिये।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन से योजनाओं की उपलब्धियों एवं आगामी कार्य–योजना की जानकारी दी।

बैठक में म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री सुखवीर सिंह, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एम.डी. श्री विशेष गढ़पाले और पूर्व क्षेत्र कम्पनी के एम.डी. श्री किरण गोपाल उपस्थित थे।

प्रदेश में एक अगस्त से 'आपकी सरकार आपके द्वार' योजना शुरू होगी

भोपाल। प्रदेश के नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण रहवासियों की समस्याओं के निराकरण और विकास के सुझावों पर अमल के लिये आगामी एक अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार की शुरूआत हो रही है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर प्रत्येक तीन माह के लिये ग्राम भ्रमण और शिविर निर्धारित कर हर माह दो भ्रमण कार्यक्रम और शिविर लगवायेंगे, जिसकी जानकारी जिले के सभी जन–प्रतिनिधियों को दी जायेगी। शिविर के लिये विकासखण्ड मुख्यालय या विकासखण्ड के ऐसे गाँव का चयन किया जायेगा, जहाँ साप्ताहिक बाजार या हाट भरता हो।

विस्तृत दिशा–निर्देश जारी

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को इस बारे में विस्तृत निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समय और धन के अप–व्यय को रोकने के लिये गाँव के आकस्मिक भ्रमण और एक समय–सारणी के अनुसार विकासखण्ड मुख्यालयों पर शिविर लगाये जायें। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। इन प्रयासों से शासन–प्रशासन को ग्रामीण नागरिकों के अधिक नजदीक ले जाने में आसानी होगी।

ग्राम भ्रमण होगा और विकासखण्ड शिविर लगेंगे

आपकी सरकार आपके द्वार के प्रथम भाग में चयनित विकासखण्ड के एक गाँव का चयन कर आम जनता से सीधे संबंध वाले विभागों के सभी जिला अधिकारी एक ही वाहन में ग्राम तक पहुँचकर शासकीय योजनाओं का जायजा लेंगे। भ्रमण वाले गाँव का नाम गोपनीय रहेगा। भ्रमण में गाँव की सभी संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा। इन संस्थाओं में स्कूल, आँगनवाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान, अस्पताल, ग्राम पंचायत का दफ्तर शामिल हैं। भ्रमण सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर दो बजे से विकासखण्ड स्तरीय शिविर लगेंगे। शिविर में कलेक्टर सहित भ्रमण करने वाले जिला अधिकारी शामिल रहेंगे।

14 विभागों के जिला अधिकारी शामिल होंगे शिविरों में

जिले के मंत्रियों और विधायकों से सम्पर्क कर शिविरों की रूपरेखा तिथिवार तय की जायेगी। कलेक्टर शिविर की सभी व्यवस्थाएँ करेंगे। प्रत्येक मंत्री और विधायक एक माह में कम से कम दो विकासखण्ड शिविरों में मौजूद रहेंगे। आमजन से अधिक संबंध वाले, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, किसान–कल्याण और कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, जल–संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभागों के जिला स्तर के अधिकारी शिविरों में आवश्यक रूप से हिस्सा लेंगे।

शिविरों में होगा समस्याओं का निराकरण

शिविर में आने वाले आवेदक समस्याओं का तत्काल निराकरण प्राप्त करेंगे। जिन आवेदनों का तुरंत निराकरण संभव नहीं होगा, उसके संबंध में आवेदक को सूचित किया जायेगा। एक समय–सीमा में निराकरण का कार्य किया जायेगा। शिविरों को दिखावे से दूर रखकर व्यवस्थित ढंग से लगाने और आमतौर पर उसी दिन समस्या हल करने को प्राथमिकता दी जायेगी। शिविर में आवेदकों के लिये सुविधाजनक प्रतीक्षालय का इंतजाम भी किया जायेगा।

प्रदेश में उपार्जित खाद्यान्न परिवहन दर अनुसूची निर्धारण के लिए समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश में उपार्जित खाद्यान्न आदि की परिवहन दर अनुसूची (एस.ओ. एस.) के निर्धारण के लिये प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अध्यक्षता में राज्य–स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में प्रमुख सचिव परिवहन द्वारा नामांकित उप सचिव स्तर तक के अधिकारी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, कलेक्टर जबलपुर, और रायसेन एवं महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम भोपाल को सदस्य नामांकित किया गया है। प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन सदस्य–सचिव होंगे।

समिति भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न परिवहन के लिये निर्धारित स्लेब अनुसार एस.ओ. आर. का निर्धारण अपनी निगरानी में तैयार करायेगी। तैयार एस.ओ. आर. प्रदेश में सभी खाद्यान्न परिवहन के लिये प्रभावी होगा। समिति खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक माह की समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

सहकारिता से विकास संभव : प्रबंध संचालक श्री रंजन

राज्य सहकारी संघ में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर संगोष्ठी

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ में 6 जुलाई को 92 वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के विषय ''उत्तम कार्य हेतु सहकारिता'' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन तथा सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री षड़ाक्षरी विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

इस अवसर पर श्री रंजन ने कहा कि सहकारिता से सशक्तिकरण होता है जिससे आर्थिक विकास संभव है। उन्होंने सहकारिता में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की तथा कहा कि मेहनत से सफलता मिलती है। अपने को सक्षम करें। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से दूर रहे। सहकारिता के माध्यम से सबका विकास संभव है।

सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री षड़ाक्षरी ने कहा कि ग्रामीण विकास से देश का विकास होगा।

उन्होंने सलाह दी कि प्लान करे तथा ताकत के साथ क्रियान्वयन करें। सफलता निश्चित मिलेगी। उन्होंने पर्यावरण तथा जैविक खाद के महत्व को भी प्रतिपादित किया।

कार्यक्रम में संघ तथा संस्थान एवं प्राथमिक आजीविका मिशन सहकारी संस्थाओं की महिला सदस्य तथा राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह उपस्थित थे। महिला प्रतिभागियों ने सरस्वती वंदना तथा राष्ट्रभक्ति के गीत प्रस्तुत किये। संचालन श्री ए.के. जोशी व्याख्याता तथा आभार श्री संतोष येड़े राज्य समन्वयक ने व्यक्त किया।

राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वावधान में महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल मे राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण मे भोपाल जिले कि प्राथमिक महिला आजीविका मिशन सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल की 31 महिला संचालक /सदस्यों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में अतिथि व्याख्याता के रूप में सुश्री सृष्टि उमेरकर, डायरेक्टर शरण वेलकेयर फाउडेशन उद्यमिता विकास तथा श्री श्री कुमार जोशी सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त ने व्याख्यान दिया। राज्य संघ की ओर से श्री संजय कुमार सिंह, ओ.एस.डी. श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक तथा श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षणार्थियों को श्री ए.के. जोशी, प्राचार्य के नेतृत्व में सुविधा साख सहकारी संस्था भोपाल का अध्ययन भ्रमण भी कराया गया।

दस्तक अभियान में 29 लाख 61 हजार बच्चों की जाँच

भोपाल। प्रदेशव्यापी दस्तक अभियान के दौरान ए.एन.एम., आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के दलों ने घर–घर पहुँचकर अब तक 29 लाख 61 हजार बच्चों की जाँच की है। जाँच में 10 हजार 736 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए। राज्य नोडल आफिसर डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि गंभीर कुपोषित चिन्हांकित बच्चों मे से 2408 बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एन.आर.सी में भर्ती कर उपचार किया गया और उन्हें पोषण आहार दिया गया। गंभीर एनिमिक 539 बच्चों को रक्ताधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) किया गया। निर्जलीकरण वाले 6737 बच्चों को संस्थागत उपचार दिया गया।

डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि दलों ने जाँच के दौरान 2351 बच्चों में जन्मजात शारीरिक विकृति की पहचान की।

अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज में पैक्स संस्थाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भोपाल। आगामी समय में पैक्स संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण कार्य होना है इस परिप्रेक्ष्य में संस्था के कर्मचारियों में कम्प्यूटर संचालन की योग्यता विकसित हो सके एवं कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सोसायटी के कार्यो जैसे लेखांकन व्यवसाय के रखरखाव में सुगमता एवं पारदर्शिता बरती जा सके जिससे कृषक सदस्यों को इसका लाभ मिले इस हेतु अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, भोपाल द्वारा विगत सप्ताह पैक्स संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उनको विशेष रूप से वर्डस्, एक्सेल, ई–मेल एवं साइबर सिक्यूरिटी, कृषक हितैषी योजनाओं एवं संस्थाओं से संबंधित दैनंदिनी उपयोग के वेब पोर्टल बनाने तथा प्रचलित पोर्टल के संचालन हेतु भी प्रशिक्षण दिया जावेगा। इसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञों सर्व श्री आर.के. गंगेले, श्री आशीष कोलारकर एवं डॉ. अनिमेष जैन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त शीर्ष बैंक द्वारा किस्प संस्था के माध्यम से बैंक के नवनियुक्त बैंकिंग सहायकों के लिए प्रोग्रामिंग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संस्थान में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री आर.पी. हजारी ने बताया है कि वर्ष 2019–20 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक कोर्स केलेण्डर अपेक्स बैंक की वेबसाईट पर अपलोड हेतु उपलब्ध कराया गया है।

शहरी साख सहकारी समितियों के सदस्यों को कार्य क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक

जबलपुर में सहकारी प्रशिक्षण का सार्थक आयोजन

जबलपुर। ''शहरी साख सहकारी समितियों की सफलता व सक्रियता के लिये आवश्यक है कि इन समितियों के सदस्यों और संचालकों को समिति की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों और अधिकारो के विषय में समुचित ज्ञान हो और इसके लिये सहकारी प्रशिक्षण आवश्यक है'' ये विचार उप आयुक्त सहकारिता श्री शिवम् मिश्रा ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सभागार में शहरी साख सहकारी समितियों के सदस्यों व संचालको के लिये आयोजित सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। ये कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र एवं जिला सहकारी संघ मर्या. जबलपुर के संयुक्त तत्वावधन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री पंकज गुप्ता ने कहा कि सहकारी प्रशिक्षण एक ऐसा सुअवसर होता है जिससे ज्ञान परिमार्जित होता है। आयोजन में जबलपुर विधुत प्रमंडल कर्म. सहकारी साख समिति के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार दीपावरे ने भी विचार व्यक्त किये और प्रशिक्षण को नेतृत्व विकास में सहायक बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में सत्र संयोजक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने सहकारी प्रबंध और समितियों की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया। द्वितीय चरण में केन्द्र के व्याख्याता श्री दिलीप मरमट ने लेखा प्रबंध पर जरूरी जानकारी दी। जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेई ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार, लिपिक श्री एन.पी. दुबे, श्री पीयूष राय का सहयोग उल्लेखनीय रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।